

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-4/वि.-1-129/16 36

पटना, दिनांक:- 08/02/17

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

द्वारा:- # वित्त विभाग।
अनौपचारिक

रूप से विषय:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के गैर योजना बजट शीर्ष "2251-सचिवालय सामाजिक
परामर्शित सेवाएँ-090 सचिवालय-0016-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (51-01) मोटर गाड़ी (नई गाड़ी
का क्रय) मद में ₹1,000/- (एक हजार) मात्र, बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये
जाने के संबंध में।

(विपत्र कोड-एन 2251000900016)

आदेश:-स्वीकृत।

उपर्युक्त शीर्षान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव को सरकारी
वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में इस मद में टोकन मनी के रूप में
बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1000.00 (एक हजार) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह राशि बजट शीर्ष खण्ड-II-800-आकस्मिकता निधि-मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक
सेवाएँ-090-सचिवालय-0016-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत (51-01) मोटरगाड़ी (नई
गाड़ी का क्रय) मद से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त मद में पूर्व से निधि उपलब्ध नहीं रहने के कारण तत्काल टोकन मनी के रूप में
₹1000.00 (एक हजार) मात्र वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं०-ब-14/बी०टी०ई०-8/2017 (C.F.
89), दिनांक-17.01.17 के द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी
प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से की जाएगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (मू०)-सह-निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

AA 22/17
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 36

पटना, दिनांक:- 08/02/17

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप
कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट-शाखा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त
सचिव/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/विशेष पदाधिकारी/उप निदेशक
(मू०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/आई०टी० मैनेजर/प्रभारी, डाटा सेल,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AA 22/17
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव